सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय,मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड़ नम्बर 3, भोपाल पिन कोड-462016
ई-मेल - dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/दि.स.-4 /2024/2381 भोपाल, दिनांक 02/09/2024

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव
NGO :Vasundhara Welfare Foundation
संस्था : Vanundhara Special School
जिला सीहोर म.प्र.

विषय:- ए.जी.ओ. Vasundhara Welfare Foundation को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिये संस्था Vanundhara Special School को शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु नवीन विभागीय मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिरकण जिला सीहोर से प्राप्त ऑनलाईन प्रस्ताव एवं कलेक्टर जिला सीहोर की अनुशंसा के आधार पर एन.जी.ओ. Vasundhara Welfare Foundation एन.जी.ओ. (NGO) कोड MP/2020/0262027 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिये संस्था Vanundhara Special School को शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु नवीन विभागीय मान्यता 5 वर्ष तक के लिये निम्न लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

विभागीय मान्यता की शर्ते :-

1. संस्था निश्चित प्रयोजन के लिये जाति, वर्ण,धर्म,भाषा के भेदभाव के बिना राजनीति से पूर्वक रहकर नि: स्वार्थ सेवा करेगी।
2. संस्था शासन/संचालनालय तथा विभागीय अधिकारियों के आदेशों, निर्देशो का तत्परता पूर्वक पालन करेगी।
3. संस्था नियमानुसार निर्दिष्ट समस्त आवश्यक अभिलेख रखेगी एवं जानकारी प्रस्तुत करेगी।
4. संस्था जनहित, राष्ट्रहित एवं शासन के हितों के विपरीत कोई भी कार्य नही करेगी।
5. संस्था शैक्षणिक गतिविधियों-दिव्यांगजन के क्षेत्र में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यक्रमों का आयोजन अनिवार्य रूप से कर जनजागरण करेगी।
6. संस्था को विभागीय योजनाओं /कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी तथा संस्था द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओ के कार्यकलापों पर किये गये कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त /उप संचालक जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,जिला सीहोर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. संस्था को दी गई मान्यता,अनुदान के लिये बाध्यता नहीं है।
8. विभागीय अनुदान हेतु आवेदन किये जाने हेतु अनुदान नियमों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा।
9. संस्था द्वारा अनुदान का दुरूपयोग या वित्तीय अनियमितता करने पर संस्था की मान्यता समाप्त करने के साथ ही वसूली योग्य राशि के लिये संस्था की सम्पत्ति राजसात की जा सकेगी।

10. यदि संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं पाई गई एवं संस्था के कार्यकलाप नियमों के विपरीत पाये गये तो मान्यता तत्काल वापस ली जावेगी।

11. संस्था द्वारा संचालित गतिविधियों को प्रदर्शित करने एंव अद्यतन सेवाओं / सुविधओ के उपलब्ध कराने संबंधी जानकारी अपनी स्वंय की वैबसाईट पर सदैव उपलब्ध करानी होगी ।

12. संस्था के कार्यकलापों पर कलेक्टर एवं संयुक्त संचालक/उप संचालक,सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला सीहोर मध्यप्रदेश का प्रशासकीय नियंत्रण होगा तथा संस्था को मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्रदान किया जायेगा।

13. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना आयोग प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक 1-1/सू.आ.प्र./08/1-9 दिनांक 6/3/2009 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

2/9/24

(मनोज बाथम)
उप संचालक (दि.स.)
वास्ते -आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

पृ.क्रमांक/दि.स.5/2024/2982 भोपाल, दिनांक:- 02/09/2024

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला सीहोर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2/9/24

उप संचालक (दि.स.)
वास्ते -आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.